



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54326

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1819 वर्ष 2026

सुरेंद्र कुमार शुक्ला

..... पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : राम मणि उपाध्याय, सर्वजीत कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम, न्यायालय संख्या 1, बस्ती द्वारा दिनांक 17.02.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है , जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा धारा 311 दं.प्र.सं. के तहत वाद संख्या 0188/2015 में धारा 147, 323, 504 और 506 भा.दं.सं. के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि एफआईआर 05.04.2015 को धारा 147, 323, 504 और 506 भा.दं.सं. के तहत दर्ज की गई थी। 04.04.2015 को संबंधित उप-जिलाधिकारी और राजस्व दल ने पुलिस बल के साथ मिलकर उसी गांव में स्थित गाँवा संख्या 197 वाले तालाब का सीमांकन किया था। 5 अप्रैल 2015 को जब याचिकाकर्ता कुछ काम कर रहा था, तभी सभी आरोपी आए और उस पर हमला कर उसे पीटने लगे। याचिकाकर्ता को चोटें आईं और उसे बस्ती के बाभनान स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया , जहां 5 अप्रैल 2015 को उसकी चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त चिकित्सा रिपोर्ट में कुछ चोटों का उल्लेख किया गया था और याचिकाकर्ता को बस्ती के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया। 6 अप्रैल 2015 को याचिकाकर्ता को बस्ती के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया , लेकिन उसी दिन उसे छुट्टी दे दी गई और केजीएमयू , लखनऊ या बीआरडी मेडिकल कॉलेज , गोरखपुर रेफर कर दिया गया। 7 अप्रैल 2015 को याचिकाकर्ता के मस्तिष्क का सीटी स्कैन किया गया, जिसमें सेरेब्रल कॉर्टिकल सल्कस की प्रमुखता पाई गई , जो हल्के सेरेब्रल एट्रोफी का संकेत देती है। इसके बाद , 8 अप्रैल 2015 को याचिकाकर्ता का बीआरडी मेडिकल कॉलेज , गोरखपुर में इलाज किया गया। इसके बाद , 25.04.2015 को याचिकाकर्ता ने लखनऊ स्थित केजीएमयू से परामर्श लिया , जहां उन्हें सिर में चोट लगने के कारण चक्कर आने की शिकायत थी।

4. आगे यह भी बताया गया है कि प्रारंभ में पुलिस ने प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरुद्ध धारा 147, 323, 504 और 506 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र दाखिल किया , और उसके बाद प्रतिपक्षी संख्या 8 के विरुद्ध इन्हीं धाराओं के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। सत्र न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ , जिसमें याचिकाकर्ता (पी.डब्ल्यू.-1) का बयान दर्ज किया गया और 24.03.2021 से 21.02.2022 के बीच उनसे जिरह की गई।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपने मुख्य बयान में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी प्रारंभिक जांच बभनान , बस्ती स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी और सिर में गंभीर चोट के कारण उसे जिला अस्पताल , बस्ती और उसके बाद गोरखपुर रेफर किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि जिरह के दौरान बचाव पक्ष ने जिला अस्पताल , बस्ती या बीआरडी मेडिकल कॉलेज , गोरखपुर में याचिकाकर्ता के इलाज का खंडन नहीं किया, जो इस प्रकार के इलाज की स्वीकृति के समान है।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू.-2, अर्थात् उमा शंकर (याचिकाकर्ता का भाई), से 06.02.2025 और 07.03.2025 के बीच पूछताछ और जिरह की गई थी और उसने भी उपरोक्त चिकित्सा केंद्रों में याचिकाकर्ता के इलाज की पुष्टि की थी। बचाव पक्ष ने इस संबंध में उसके बयान का खंडन नहीं किया।

7. यह भी निवेदन किया गया है कि 26.05.2025 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र , बभनान में तैनात डॉ. जय प्रकाश पांडे को चौथे गवाह के रूप में पेश किया गया था और उन्होंने गवाही दी कि याचिकाकर्ता के सिर पर चोट आई थी। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



को सिर में गंभीर चोट लगी थी , और इसलिए , अभियुक्तों को धारा 308 भा.दं.सं. के तहत दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

8. हालांकि, सिर की चोट को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए , जिला अस्पताल, बस्ती, बीआरडी मेडिकल कॉलेज , गोरखपुर और केजीएमयू , लखनऊ में याचिकाकर्ता की जांच और उपचार करने वाले डॉक्टरों को तलब करना आवश्यक था। यह निवेदन किया जाता है कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने उन डॉक्टरों की जांच नहीं की , इसलिए याचिकाकर्ता ने 17.02.2026 को धारा 311 दं.प्र.सं. के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर से 06.04.2015 से 08.04.2015 तक के बेड हेड टिकट और जिला अस्पताल , बस्ती से 05.04.2015 से 06.04.2015 तक के बेड हेड टिकट सहित डिस्चार्ज स्लिप मंगवाने की मांग की गई थी, साथ ही गोरखपुर के रेडियोलॉजिस्ट डॉ . सरवत अली को तलब करने की भी मांग की गई थी।

9. यह तर्क दिया जाता है कि विचारण न्यायालय मामले के उचित नि स्तारण के लिए इन दस्तावेजों और उक्त डॉक्टर की गवाही के महत्व को समझने में विफल रही। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र , बभनान से उच्चतर केंद्र में रेफर नहीं किया गया था , तथ्यात्मक रूप से गलत है , क्योंकि 05.04.2015 की मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ऐसे रेफरल का उल्लेख है।

10. इसके विपरीत, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 के आक्षेपित आदेश में यह टिप्पणी की गई है कि घटना दिनांक 05.04.2015 को लगभग 8:30 बजे हुई थी, और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि धारा 147, 304, 308, 323, 452, 504 और 506 भा.दं.सं. के तहत एक क्रॉस-केस, एस.टी. संख्या 167/2015, अपराध संख्या 187/2015 (राज्य बनाम सुरेंद्र शुक्ला), उसी अदालत में अंतिम बहस के चरण में लंबित है। यह भी टिप्पणी की गई है कि शिकायतकर्ता की चिकित्सा जांच दिनांक 05.04.2015 को दोपहर 12:45 बजे पीएचसी बभनान, बस्ती में की गई थी , जिसमें चार चोटें पाई गईं , और चोट रिपोर्ट को पहले ही प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण न्यायालय ने माना है कि जिन दस्तावेजों को तलब करने की मांग की गई है , वे बाद के उपचार से संबंधित हैं और उनकी स्वीकार्यता और प्रासंगिकता को ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



11. विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 311 दं.प्र.सं. के तहत आवेदन मामले की विशेषताओं से अप्रासंगिक है, विशेष रूप से तब जब साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं और मामला क्रॉस केसों में अंतिम बहस के चरण में है। इसने आगे कहा है कि प्रस्तावित साक्ष्य मामले के परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

12. अपराध वर्ष 2015 से संबंधित है, और सत्र न्यायालय में सुनवाई 2019 से लंबित है। पक्षों के बीच क्रॉस केस भी लंबित हैं।

13. तथ्यों, परिस्थितियों, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के मद्देनजर , दिनांक 17.02.2026 के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाई जाती है।

14. तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कोई मेरिट नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

17 मार्च, 2026

केके मौर्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।